15

पत्र सं०-एम-4-23/2012...../वि०(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

मो० सउद,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना-15, दिनांक.....

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर कोषागार में विपत्रों की संख्या एवं अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने हेतु निदेश को शिथिल करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्र सं० 1115 दिनांक 04.02.2013 द्वारा वित्तीय अनुशासन एवं कार्य सम्पादन हेतु कतिपय निर्देश दिये गये हैं । इसी संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई ।

समीक्षोपरान्त संविदा पर कार्यरत जिन पदाधिकारियों/कर्मियों यथा, चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सा पदाधिकारी, ए.एन.एम., ममता कार्यकर्त्ता, गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता एवं मासिक मानदेय का भुगतान व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं मद से होता है, से राशि निकासी हेतु लगाये गये प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है ।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(मो० सउद)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-एम-4-23/2012..2519../वि०(2) पटना-15, दिनांक..12/3/13...

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उनकी संचिका संख्या-7/विविध-26-11/2012-13 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

14/3/13
(मो० सउद)
संयुक्त सचिव

2912-वरीय लिपिक

ज्ञापांक-7/विविध-26-11/2012-13 290(7) पटना, दिनांक 14-3-13

प्रतिलिपि- उपरोक्त विषयक पत्र की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जिला पदाधिकारी,
2. समस्त अपर समाहर्ता पदाधिकारी, 1, 10, 12 एवं 16 वेलर आफिस टी० सेक्रेटेरियट
3. समस्त उप समाहर्ता पदाधिकारी के सूचनार्थ।

14.03.13
अवर सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

Pramod/sec-4/44